भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1101

मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के अंतर्गत उपलब्धियां

1101 श्री मयंककुमार नायक:
श्री संजय भाटिया:
श्री बृज लाल:
श्री जोगेन मोहन:
श्री सुभाष बराला:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई, 2026 तक 'प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' (पीएमएसजीएमबीवाई) के अंतर्गत हुई समग्र प्रगति का ब्यौरा क्या है, और पूर्ण किए गए रूफटॉप सौर संयंत्रों की संख्या कितनी है तथा इससे कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और राजसहायता दावों पर कार्रवाई करने एवं संवितरण करने में औसतन लगने वाले समय का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर कम प्रगति वाले राज्यों में संस्थापन में हो रही देरी, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की तैयारियों तथा ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों के संदर्भ में इस योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) एक करोड़ रूफटॉप सौर ऊर्जा से युक्त घरों के लक्ष्य की प्राप्ति में इस योजना का कितना योगदान अपेक्षित है और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर इसका क्या प्रभाव होगा?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): पीएम सूर्य घर:मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) एक मांग संचालित योजना है जिसमें देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड कनेक्टेड बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल (www.pmsuryaghar.gov.in) पर आवेदन करके आरटीएस प्रणाली की स्थापना करवाने के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के तहत, फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत से, दिनांक 31.05.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 33,20,822 आरटीएस प्रणालियां स्थापित की गई हैं, जिससे 40,75,901 घर लाभान्वित हुए हैं तथा 22,749.78 करोड़ रु. की केंद्रीय वित्तीय सहायता भी जारी की गई है।

पीएमएसजी:एमबीवाई के अंतर्गत, आवेदन से केंद्रीय वित्तीय सहायता वितरण तक की पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन है। राष्ट्रीय पोर्टल पर पूरी जानकारी सही प्रकार से भरने पर, उपभोक्ता द्वारा किए गए प्राप्ति अनुरोध के बाद सीएफए जारी करने में लगने वाला औसत समय लगभग 15 दिन है।

कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों सहित देश भर में स्थापना दर को बढ़ाने और योजना को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय निम्नलिखित उपाय कर रहा है :

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के सीधे वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो रेट प्लस 50 बीपीएस अर्थात् वर्तमान के लिए 5.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल-फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके, विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- राष्ट्रीय पोर्टल में नेट मीटरिंग करार को आवेदन का एक हिस्सा बनाया गया, ताकि अलग से अनुमोदन की आवश्यता न हो।
- वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि पर्याप्त और योग्य वेंडर उपलब्ध हो सकें।
- कुशल मैनपावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन, टी.वी. विज्ञापन अभियानों, एफएम स्टेशनों सहित क्षेत्रीय चैनलों पर रेडियो अभियानों आदि के माध्यम से देश में जागरुकता और आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से योजना के बारे में जागरुकता पैदा करना।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है।
- समय-समय पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
- शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

इसके अतिरिक्त, MNRE और REC लिमिटेड, PMSG: MBY के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) के रूप में, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी डिस्कॉम के साथ निकट समन्वय में कार्य करते हैं।

पीएमएसजी:एमबीवाई के अंतर्गत, ऐसा अनुमानित है कि एक करोड़ घरों में आरटीएस स्थापना से 1,000 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन होगा, जिसके परिणामस्वरूप आरटीएस प्रणालियों के 25 वर्षों के जीवनकाल के दौरान 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी होगी।
